श्री कामेश्वर सिंह (सहायक प्रोफेसर)
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कॉलेज सासाराम।
वर्ग — बी० ए० पार्ट — I (प्रतिष्ठा)
पत्र — प्रथम, यूनिट नं० — 12
राजनीतिक सिद्धान्त — डॉ० पुखराज जैन
दिनांक — 20-07-2020

ऑस्टिन के सम्प्रभुता की आलोचना का शेष भाग —

(2) केवल वैधानिक सम्प्रभु का वर्णन :— ऑस्टिन व्यवहारिक भी उनके और सम्प्रभुता संबंधी सिद्धान्त का वर्णन किया है वह नागरिक दृष्टिकोण से किया है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं। वह केवल वैधानिक सम्प्रभुता का वर्णन किया है, व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश नहीं डाला। जिसके सामने वैधानिक सम्प्रभु को भी नतमस्तक होना पड़ता है।

Scanned with CamScanner

(3) सम्प्रभु का आदेश कानून नहीं है :— आलोचकों ने ऑस्टिन के सम्प्रभुता संबंधी विचारों को यह कहकर आलोचना करते है कि सम्प्रभु का आदेश ही कानून है सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि सम्प्रभुता ही केवल कानून का स्रोत नहीं होता बल्कि परम्परागत प्रथाएँ, न्याय संबंधी निर्णयों, धर्म, औचित्य, टीका टिप्पणी, न्यायधीशों का निर्णयों इत्यादि कानून के स्रोत होते है। क्योंकि मैकाईवर ने कहा है कि "राज्य को किसी रीति-रिवाज का विनाश करने या बदलने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। हाँ इतना अवश्य है कि परिस्थितियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाकर वह अप्रत्यक्ष रूप से उनको प्रभावित कर सकते है।

(4) राज्य की शक्ति असीम नहीं है :— ऑस्टिन ने राज्य की शक्ति को असीम माना है जबकि आज के आधुनिक लेखक इसे सीमित मानते है। क्योंकि राज्य समुदायों, अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, नैतिकता तथा विधियों के विभिन्न स्रोतों का राज्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। ब्लंटश्ली ने ठीक ही कहा है कि "राज्य अपने समग्र स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं है क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आन्तरिक मामलों में स्वयं अपने प्रकृति और व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है।"

(5) शक्ति पर अधिक बल देना :— ऑस्टिन के अनुसार कानून का पालन शक्ति के आधार पर होता है जो कि सर्वथा गलत है क्योंकि कानून का पालन हम इसलिए करते

Scanned with CamScanner

है कि उनकी अवज्ञा के साथ दण्ड का भाव जुड़ा हुआ है बल्कि उसका पालन हम इसलिए करते हैं कि कानून के अनुरूप आचरण करने की भावना है।

⑥ शक्ति का भय :— ऑस्टिन ने अपनी सिद्धान्त में असीम, अविभाज्य तथा निरंकुश सम्प्रभुता का वर्णन कर समाज में शक्ति के [illegible] पनपने की सम्भावना बनाता है क्योंकि आज का युग प्रजातंत्र का युग है विश्व के हर कोने में निरंकुश शासन का विरोध हो रहा है।

⑦ सम्प्रभुता विभाजित है :— ऑस्टिन का सिद्धान्त भले ही एकात्मक राज्य के लिए कुछ हद तक ठीक है लेकिन [illegible] संघात्मक राज्य है वहाँ राज्यों में सम्प्रभुता की अविभाज्यता सिद्धान्त नहीं होता। क्योंकि इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त काम करता है। हर क्षेत्र में संघ सरकार एवं राज्य सरकार स्वतंत्र होती है। अतः अविभाज्यता केवल काल्पनिक है।

⑧ बहुलवादियों का आक्षेप :— बहुलवादी जैसे लास्की, ड्यूग्वी, क्रैब, बारकर, लिण्डसे, फिगीस के अनुसार सम्प्रभुता किसी निश्चित व्यक्ति में निवास नहीं बल्कि सम्प्रभुता तो विभिन्न संस्था एवं समुदायों में [illegible] विभाजित है। अतः आधुनिक तथा ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से गलत है।

निष्कर्ष :— इसकी आलोचना हुई है बहुलवादियों ने भी अनेक व्यावहारिक दृष्टि से ऑस्टिन के सिद्धान्त पर प्रहार किया है।

लेकिन इतना तो सभी को स्वीकार करना ही होगा कि ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धान्त वैधानिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। गार्नर के शब्दों में :— "इस सिद्धान्त में खामियाँ होते हुए भी ऑस्टिन वैधानिक सम्प्रभुता का एक स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण अर्थ प्रदान किया है। —— समाप्त